20 एससी / एसटी शिक्षा

कौशल विकास शिविर (Skill Development Camp)

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 के लिए नवाचारी शिक्षा मद की उपमद **अनुसूचित/अनु0 जनजाति शिक्षा** में बालिकाओं हेतु कौशल विकास शिविर गतिविधि का अनुमोदन किया गया है।

1. **अवधि –**
   अनुसूचित/अनु0 जनजाति समुदाय की बालिकाओं हेतु जिलों में 15 मई, 2010 से कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन आवासीय शिविरों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा। इन आवासीय शिविरों में बालिकाओ में कम्प्यूटर दक्षता के साथ कम से कम एक क्षेत्र में कौशल विकास किया जायेगा एवं शैक्षणिक दक्षता उन्नयन हेतु विषयगत अध्ययन भी कराया जायेगा।
2. **कौशल विकास शिविरों के स्थान –**
   ये शिविर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों/जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में स्थापित किये गये कम्प्यूटर लैब में अथवा सुविधा युक्त बडे विद्यालयों में संचालित किये जायेंगें। **इस हेतु कोई किराया देय नहीं होगा।**
3. **समूह –**
   प्रत्येक शिविर में अधिकतम 40 बालिकाएं होगी। बालिकाओं के 20–20 के समूह बनाये जायेगे। दोनों समूहों में एक समूह की बालिकाएं एक समय में कम्प्यूटर लैब में एवं दूसरे समूह की बालिकाएं कौशल विकास गतिविधि में भाग लेंगी। इस प्रकार मध्यान्ह पश्चात प्रथम समूह की बालिकाएं कौशल विकास गतिविधि एवं द्वितीय समूह कम्प्यूटर लैब में प्रशिक्षण लेगा। यदि पर्याप्त स्थान, फर्नीचर एवं कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध हो तो 40 बालिकाओं का एक ही समूह बनाया जा सकता है और आधे समय कम्प्यूटर एवं शेष समय कौशल विकास गतिविधि चलाई जा सकती है।

4. **शिविर संचालन समिति –**
   - ✓ शिविर के प्रभावी संचालन हेतु निम्न कमेटी होगी –

1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (डाईट में कैम्प आयोजित होने की स्थिति में डाइट प्राचार्य)	अध्यक्ष	
2. जिला मुख्यालय पर कार्यरत नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम प्रभारी	सदस्य	
3. बीआरसीएफ/बीईईओ	सदस्य	
4. एमआईएस/डाइट लैब का ईन्चार्ज व्याख्याता (यदि कैम्प स्थल डाईट में हो)	सदस्य	
5. एसडीएमसी का अध्यक्ष	सदस्य	सचिव
6. शिविर वार्डन		सदस्य

   - ✓ शिविर के प्रभावी संचालन का दायित्व उक्त समिति का होगा। एसडीएमसी अध्यक्ष एवं वार्डन समिति की अभिशंषा के पश्चात समस्त क्रय के लिए अधिकृत होंगें। इस समिति द्वारा शिविर में बालिकाओ के आवास, भोजन, सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।

7. **मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण –**

- ✓ जिला परियोजना समन्वयक (DPC) 15 दिवस में कम से कम एक बार इन शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
- ✓ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), सप्ताह में कम से कम एक बार इन शिविरों की आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करेंगे।
- ✓ **जिला प्रभारी अधिकारी (परिषद् मुख्यालय) भी 15 मई से 30 जून के मध्य जिले की विजिट करेंगे एवं जिले में संचालित ''कौशल विकास शिविर'' का निरीक्षण कर व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे।**
- ✓ शिविरों के प्रभावी संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु बीआरसीएफ/बीईईओ भी सप्ताह में कम से कम दो बार कैम्प का विजिट करेंगें। कमजोरी के क्षेत्रों में सम्बलन प्रदान करते हुए एवं अपने सुझावों सहित रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयकों के साथ–साथ परिषद् मुख्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
- ✓ शिविरों में समस्त महिला कार्मिक कैम्प स्थल पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। इनके लिए भोजन एवं आवास का प्रावधान किया गया है।

8. **योग्यताएं –**

- ✓ कम्प्यूटर दक्षता विकास हेतु एक कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्टर, जो कि कम्प्यूटर में कम से कम ''O'' लेवल का प्रमाण पत्र रखते हो, लगाया जायेगा।
- ✓ उच्च योग्यताधारी एवं महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावे।
- ✓ कौशल विकास विकसित करने हेतु इन्स्ट्रक्टर सम्बन्धित कौशल विकास में दक्षता रखता हो एवं प्रशिक्षित का चयन किया जावे। इस कार्यक्रम हेतु भी महिला प्रशिक्षित को प्राथमिकता दी जावे।
- ✓ शिविर हेतु कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्टर एवं अन्य कौशल विकास गतिविधि के चयन के लिए जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की जायेगी, जिसमें नवाचारी कार्यक्रम प्रभारी (APC), कम्प्यूटर प्रभारी/एमआईएस प्रभारी एवं बीआरसीएफ/बीईईओ सदस्य होगें।
- ✓ चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्यतम एवं समर्पित व्यक्तियों का चयन किया जावे। **महिलाओं को प्राथमिता दी जावे।**
- ✓ वार्डन कम सन्दर्भ शिक्षक महिला होनी चाहिए तथा शैक्षिक योग्यता बी.ए., बी.एड होनी चाहिए। उच्च योग्यताधारी/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- ✓ नियमित विषय अध्ययन हेतु एक संदर्भ शिक्षक रखा जावेगा, जो बी.ए., बी.एड. योग्यता रखता हो। महिला अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावें। सन्दर्भ शिक्षक शिविर संचालन से एक घण्टा पूर्व एवं एक घण्टा पश्चात बालिकाओं को नियमित पाठ्यक्रम के विषय गणित/ अंग्रेजी/विज्ञान का अध्ययन करवाएगे।

9. **बजट एवं वित्तीय मानदण्ड –**

- ✓ शिविर से सम्बन्धित बजट राशि निकट के एसडीएमसी खाते में हस्तान्तरित की जावें।

- ✓ उक्त शिविर में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान गठित संचालन समिति की अनुशंषा पश्चात किया जावेगा।
- ✓ शिविर समाप्ति के 10 दिवस में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समायोजन राशि का आदेश जारी किया जावें।

✓ **निर्धारित बजट से अधिक राशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं की जा सकेगी, परन्तु बच्चों की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय ही किया जावे।**

✓ समायोजन राशि एवं असमायोजन राशि के सम्बन्ध में जिला स्तर एवं ब्लॉक एसडीएमसी स्तर अभिलेख संधारित किये जावें।

✓ अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

✓ शिविर की यूनिट कॉस्ट 1.20 लाख प्रति कैम्प होगी। विभाजन निम्न प्रकार है –

क्रसं	मद	दर	राशि
1	कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्चर	200x1x40	8,000
2	कौशल विकास प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्ति	200x1x40	8,000
3	वार्डन कम शिविर प्रभारी	250x40	10,000
4	सन्दर्भ शिक्षक	150x40	6,000
5	चौकीदार कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	100x1x40	4,000
6	भोजन, चाय, नाश्ता इत्यादि	40x45x40	72,000
7	तैल/साबुन/मंजन इत्यादि	25x40	1,000
8	बालिकाओं का एक बार आने/जाने का वास्तविक किराया	25x40	1,000
9	टीएलएम (बालिकाओं हेतु)	50x40	2,000
10	कन्टीज़ैन्सी एवं डाक्यूमेन्टेशन	-	6,000
11	कम्प्यूटर एवं कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु सहायक सामग्री	-	2,000
	योग		**120,000**

नोट – कम्प्यूटर मैन्टीनेन्स/रख–रखाव यदि आवश्यक हो तो कन्टीज़ैन्सी एवं डाक्यूमेन्टेशन मद से व्यय किया जा सकता है। बालिकाओं के प्रशिक्षण स्थल पर बीमार होने पर इलाज़ हेतु दवाईयों की व्यवस्था कन्टीज़ैन्सी मद से की जा सकती है।

10. गतिविधियाँ –

इन शिविरों में निम्न कौशल विकास गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है –
कढाई–बुनाई, ड्रेस मेकिंग, योग प्रशिक्षण, रंगाई–छपाई, टेरी कोटा वर्क, बुक बाईडिंग, ब्यूटी पार्लर, पपैट मैकिंग (कपडा, मिट्टी एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने) इत्यादि।

गतिविधियों का निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनसें सम्बन्धित प्रशिक्षित इन्स्ट्रक्टर जिले में उपलब्ध हो।

11. प्रमाण पत्र –

✓ शिविर समाप्ति से पूर्व कम्प्यूटर एवं कौशल विकास गतिविधियों का टैस्ट आयोजित किया जायेगा।

- ✓ बालिकाओं को टैस्ट के आधार पर प्रमाण पत्र वितरित किये जावें।
- ✓ प्रमाण पत्र सम्बन्धित सीआरसीएफ/बीईईओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) पदेन जिला परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षरों से जारी किए जावें।
- ✓ शिविर में भाग लेने वाले बालिकाओं के रिजल्ट, प्रतिवेदन/डाक्यूमेन्टेशन की एक प्रति परिषद् मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

रेगिस्तानी छात्रावास

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 के लिए नवाचारी शिक्षा मद की उपमद **अनुसूचित/अनु0 जनजाति शिक्षा** में गत वर्षो में संचालित रेगिस्तानी छात्रावास को सत्र 2010–11 में निरन्तर संचालन करने का अनुमोदन किया गया है –

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	वित्तीय प्रावधान
1	**बीकानेर**	**कोलायत**	**7.00**
2	**जैसलमेर**	**सम**	**7.00**
		जैसलमेर	**7.00**
	योग		**21.00**

परिचय –

राज्य के ऐसे स्थान जहाँ पूर्णतया छितराई आबादी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाएं, जो 5वीं उत्तीर्ण करके विद्यालय दूर होने के कारण/अभावों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते है, के लिए सत्र 2008–09 में कोलायत, सम एवं जैसलमेर ब्लॉक्स में रेगिस्तानी छात्रावास खोले गये थे। ये छात्रावास सत्र 2009–10 में भी संचालित किए गये थे एवं सत्र 2010–11 में भी इन छात्रावासों में विद्यार्थी भोजन, आवास की सुविधा प्राप्त कर अपने अध्ययन को कक्षा 5 के बाद कक्षा 6, 7 एवं 8 तक जारी रख सकते है। इन छात्रावासों में बालक/बालिकाओं का अधिकतम नामांकन 50 होगा। बालक/बालिकाओं के लिए अलग–अलग छात्रावासों की व्यवस्था की जायेगी। सत्र 2009–10 में कोलायत (बीकानेर) एवं सम (जैसलमेर) में बालिकाओं एवं जैसलमेर (जैसलमेर) में छात्रों हेतु ये छात्रावास संचालित किए गये थे। अतः इन्हें ही सत्र 2010–11 में संचालित किया जाना है।

विद्यार्थियों की पात्रता –

1. ऐसे स्थान जहाँ पूर्णतया छितराई आबादी हो तथा जहाँ 3 किमी के अन्दर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो उन स्थानों के बालक/बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश देवें।
2. जिन बालक/बालिकाओं के माता–पिता बी.पी.एल. परिवार से है, उन्हें प्राथमिकता देवें।
3. शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाएं, जो कक्षा 5 के बाद अनामांकित एवं ड्रॉप आउट हो गये/गयी है।
4. पालयन करन वाले परिवारों के बालक/बालिका भी इन छात्रावास में रहने के पात्र है।
5. बालिकाओं के छात्रावास में बालिकाओं एवं बालक छात्रावास में केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

छात्रावास संचालन समिति –

छात्रावास का संचालन एक समिति के माध्यम से किया जायेगा, जो निम्न प्रकार होगी –

1. बीआरसीएफ/बीईईओ — अध्यक्ष
2. एपीसी (नवाचारी शिक्षा) — सदस्य
3. कनिष्ठ लेखाकार (ब्लॉक) (एसएसए) — सदस्य
4. सम्बन्धित संकुल का सीआरसीएफ — सदस्य

5. एसडीएमसी का अध्यक्ष — सदस्य सचिव
6. वार्डन (छात्रावास) — सदस्य

शिविर के प्रभावी संचालन का दायित्व उक्त समिति का होगा। इस समिति द्वारा शिविर में बालक/बालिकाओं के आवास, भोजन, सुरक्षा एवं अन्य समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। एसडीएमसी अध्यक्ष एवं वार्डन उक्त समिति की अभिशंषा पर छात्रावास हेतु आवश्यक क्रय के लिए अधिकृत होंगें।

मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण –

- ✓ जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) माह में एक बार इन छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
- ✓ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक भी माह में एक बार इन छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करें।
- ✓ **जिला प्रभारी अधिकारी, बीकानेर एवं जैसलमेर (परिषद् मुख्यालय) भी जिले की विजिट के दौरान जिलो में संचालित इन छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।**
- ✓ छात्रावासों के प्रभावी संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु बीआरसीएफ/बीईईओ 7 दिवस में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य करें।
- ✓ नवाचारी गतिविधियों से सम्बन्धित एपीसी, जिला मुख्यालय भी माह में एक बार इन छात्रावासों का निरीक्षण करें एवं सम्बलन प्रदान करें।
- ✓ छात्रावासों में एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त कार्मिक रात्रि विश्राम छात्रावास में ही करेंगे।
- ✓ कनिष्ठ लेखाकार भी समय–समय पर छात्रावास व्यवस्था हेतु किए गये व्ययों से सम्बन्धित वाउचर इत्यादि का निरीक्षण करें एवं समस्याओं का निराकरण करें।
- ✓ छात्रावास समाप्ति पर सम्बन्धित बीआरसीएफ/सीआरसीएफ समस्त स्थाई सामग्री प्राप्त कर सुरक्षित रखेंगे, जिससे आगामी सत्र में पुनः प्रयोग में ली जा सके।

योग्यताएं –

वार्डन :– छात्रावासों हेतु नियुक्त वार्डन की न्यूनतम योग्यता बी.ए., बी.एड. होनी अनिवार्य है। उच्च योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जावें। बालिका छात्रावासों हेतु महिला वार्डन ही रखी जाये। विद्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात सभी बालक/बालिकाओं को नियमित पाठ्यक्रम के विषयों का अध्ययन करायेगे।

सन्दर्भ शिक्षक :– संदर्भ शिक्षक की न्यूनतम योग्यता बीए, बीएड होनी अनिवार्य है। उच्च योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जावें। बालिका छात्रावासों हेतु महिला संदर्भ शिक्षिका रखी जानी अनिवार्य है। संदर्भ शिक्षक/शिक्षिका विद्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात सभी बालक/बालिकाओं को नियमित पाठ्यक्रम के विषय गणित, अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि का अध्ययन करायेगे।

वार्डन एवं सन्दर्भ शिक्षक के दायित्व –

- ✓ छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- ✓ यदि किसी दिन 40 से कम उपस्थिति पाई गई तो संदर्भ व्यक्तियों को अनुपातिक भुगतान किया जायेगा।
- ✓ अभिलेख संधारण एवं निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना।
- ✓ दैनिक समय सारिणी की अनुपालना सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रत्येक रविवार टैस्ट का आयोजन करें एवं प्रगति रजिस्टर संधारित करें।

बजट एवं वित्तीय मानदण्ड –

- ✓ छात्रावासों से सम्बन्धित बजट राशि किश्तों में एसडीएमसी खाते में हस्तान्तरित की जावें।
- ✓ छात्रावास व्यवस्थाओं पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान संचालन समिति की अनुशंषा पश्चात किया जावें।

- ✓ उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करने पर ही अगली किश्त जारी की जावें। जिला कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समयोजन राशि का आदेश जारी किया जावें।
- ✓ **निर्धारित बजट से अधिक राशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं की जावे, परन्तु बच्चों की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय ही किया जावे।**
- ✓ समायोजन राशि एवं असमायोजन राशि के सम्बन्ध में जिला स्तर पर ब्लाक स्तर एवं एसडीएमसी स्तर पर अभिलेख संधारित किए जावे।
- ✓ अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी एवं **दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।**
- ✓ छात्रावास हेतु यूनिट कॉस्ट 7.00/– लाख रूपये प्रति छात्रावास हैं जिसका मदवार विभाजन निम्न प्रकार हैं :–

अन्य –

क्र.सं.	मद	यूनिट कॉस्ट	राशि
1	भोजन एवं नाश्ता	30x50x300	450000
2	वार्डन वेतन (मानदेय)	3500x1x10	35000
3	संदर्भ शिक्षक मानदेय	2500x1x10	25000
4	टीएलएम (छात्र)	236X50	11800
5	बिजली/पानी/सफाई	1500x10	15000
6	भवन किराया	4000x10	40000
7	चौकीदार कम सहायक कर्मचारी	1500x1x10	15000
8	स्टेशनरी (कार्यालय हेतु)	Fixed	1000
9	कुक + हैल्पर	1000+1000x1x10	20000
10	आकस्मिक व्यय + चिकित्सा व्यय सहित		30000
11	विविध व्यय (साबुन, तेल, टूथपेस्ट इत्यादि)	750X10	10000
12	बालक/बालिकाओं हेतु यूनिफॉर्म	250x50	12500
	योग		**665300**

- आकस्मिक एवं चिकित्सा व्यय में राजकीय चिकित्सक/कम्पाउण्डर द्वारा लिखी गई दवाईयों पर ही व्यय किया जावें।
- यदि भोजन व्यवस्था टेण्डर से की जाती है तो कुक तथा हेल्पर व्यवस्था पर अलग से व्यय नहीं किया जावे।
- भोजन करने के बर्तन उपलब्ध नहीं है तो आकस्मिक व्यय मद से क्रय किए जा सकते है।
- स्थायी सामग्री यदि गत वर्षो में क्रय की गई हो तो पुनः क्रय न करें।
- छात्रावास समाप्ति पर समस्त स्थायी सामग्री बीआरसीएफ/सीआरसीएफ को संभलवाना सुनिश्चित करेंगे।
- खेल सामग्री का क्रय आकस्मिक व्यय से किया जा सकता है।
- **यदि निर्धारित बजट प्रावधान के अतिरिक्त राशि का आवश्यकता हो तो स्थानीय भामाशाहों से सहयोग लिया जा सकता है।**

समस्त जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक छात्रावास प्रारंभ कर नामांकन की सूचना प्रति माह परिषद् मुख्यालय के नवाचारी प्रकोष्ठ को निम्न प्रारूप में प्रेषित करें।

जिले का नाम :–

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	संकुल का नाम	छात्रावास स्थान का नाम	बीआरसीएफ का नाम	अध्ययनरत छात्र/छात्राएं					
					SC	**ST**	**OBC**	**Min**	**Other**	**Total**

प्लेसमेन्ट एजेन्सी से नियुक्त वार्डन एवं संदर्भ शिक्षक की सूचना भी निम्न प्रारूप प्रेषित करें।

क्र.सं.	नाम	योग्यताएं	कार्य ग्रहण की तिथि	निवास स्थान का पूर्ण पता

शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोज़र विज़ट)

परिचय –

बालिकाओं के ठहराव को सुनिश्चित करने के साथ–साथ शैक्षिक भ्रमण बालिकाओं के लिए बाहरी दुनिया को देखकर (सीखना, अनुभव करना) उनके लिए आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व को निखारने में उपयोगी होता है। बालिकाओं को मनोरंजन के साथ–साथ अधिक से अधिक सीखने को मिले, इस दृष्टि से विभिन्न स्थानों यथा ऐतिहासिक स्थलों, बैंक, रेलवे स्टेशन, डाकघर, म्यूजियम, चिडियाघर, मॉल, गार्डन, विभिन्न औद्योगिक कारखानों, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर भ्रमण कराया जा सकता है।

दिशा निर्देश –

- ✓ बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए।
- ✓ प्रत्येक 25 बालिकाओं पर एक शिक्षक अर्थात 100 बालिकाओं पर चार शिक्षक होने चाहिए। चार शिक्षक में से तीन महिला शिक्षक एवं एक पुरुष शिक्षक होना अनिवार्य है।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाली प्रत्येक बालिका को एक कॉपी व एक पैन उपलब्ध कराया जाना है।
- ✓ भ्रमण के दौरान एवं भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं से उनके अनुभव लिखवाएं जाने है तथा उन्हें अन्य बालिकाओं के साथ अनुभव बाँटने का मौंका दिया जाये।
- ✓ भ्रमण के दौरान फोटो खींचने/खिचवाने की भी व्यवस्था की जाएं एवं बालिकाओं को भी उनसे सम्बन्धित फोटोग्राफ उपलब्ध कराएं जाए।
- ✓ प्रत्येक जिले से कुल 100 बालिकाओं को भ्रमण दल में सम्मिलित किया जाना है।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण अक्टूबर/नवम्बर में मध्यावति अवकाशों के दौरान किया जाना है।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण की अवधि 4 दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण की अधिकतम दूरी 300 किमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं भ्रमण अन्तर जिला होना अनिवार्य है।

चयन का आधार –

- उन ब्लॉक की एससी/एसटी बालिकाओ को भ्रमण दल में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जावें, जहां जेण्डर गेप अधिकतम है।
- गत परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त छात्राओं को प्राथमिकता देवें।
- भ्रमण हेतु कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत एससी/एसटी बालिकाओं को ही सम्मिलित किया जाना है।
- बीपीएल परिवार की एससी/एसटी बालिकाओं को भी भ्रमण दल में सम्मिलित करें।
- **कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयो में अध्ययनरत बालिकाओं को सम्मिलित नहीं किया जाए।**

बीआरसीएफ/बीईईओ द्वारा अपने–अपने ब्लॉक से शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाली बालिकाओं की सूची निम्न प्रारूप में 30 अगस्त, 2010 तक जिला मुख्यालय एवं परिषद् मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससें जिला मुख्यालय द्वारा स्वीकृति जारी की जा सके।

प्रपत्र

जिले का नाम – ब्लॉक का नाम –

क्र.सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा जिसमें अध्ययनरत	गत कक्षा में प्राप्तांक	वि.वि.

नोट – शैक्षिक भ्रमण विवरण भी संक्षिप्त में लिखे यथा कहां एवं किन स्थानों पर भ्रमण किया जाना है।

1. **भ्रमण का प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ, बालिकाओं की सूची एवं उनके अनुभवों को सम्मिलित करते हुए परिषद मुख्यालय पर अवश्य भिजवाएं।**
2. **किसी भी स्थिति में निर्धारित बजट से अधिक राशि व्यय नहीं की जाए। बालिकाओं की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय किया जावें।**
3. **भ्रमण से लौटने पर 15 दिवस में समयोजन हेतु बिल बीआरसीएफ/बीईईओ द्वारा जिला मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।**

अवार्ड (बालिकाओं हेतु पुरस्कार)

परिचय एवं उद्देश्य –

बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रूचि एवं शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 में प्रति बालिका 1500 (1000+500) रूपये नगद पुरस्कारों के रूप में देने का प्रावधान किया है।

इन पुरूस्कारों का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करना एवं अन्य बालिकाओं को बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

चयन प्रक्रिया –

- शैक्षिक सत्र 2009–10 के जिला स्तरीय ऑठवी बोर्ड परीक्षा (डाइट) के परीणाम के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक पर कक्षा VIII में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एस.सी./एस.टी. की दो बालिकाओं का चयन किया जायेगा।
- बालिकाएं एस.सी./एस.टी. समुदाय की होनी चाहिए।
- प्रथम एवं द्वितीय स्थान की जानकारी प्रत्येक जिले की डाइट से प्राप्त की जा सकती है।

पुरस्कार वितरण –

- प्रत्येक ब्लॉक पर कक्षा VIII में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में दिये जाए।
- समान अंक (प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान) प्राप्त करने वाली प्रत्येक बालिका को पुरस्कार स्वरूप राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में दिये जाए।
- पुरस्कारों का वितरण समारोह आयोजन कर किया जावे।
- उक्त समारोह में स्थानीय पार्षद/विधायक/प्रशासनिक अधिकारी को बुलाया जावे।

- 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी के समारोह में भी इन पुरूस्कारों को देकर बालिकाओं को सम्मानित किया जा सकता है।
- प्रवेशोत्सव में भी इन पुरूस्कारों को देकर अन्य बालक/बालिका को बेहतर शैक्षिणीक प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

प्रक्रिया –

- समस्त बीआरसीएफ/बीईईओ अपने–अपने ब्लॉक में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त एस.एसी/एस.टी. वर्ग की बालिकाओं के नाम **20 जुलाई, 2010** तक जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त ब्लॉक से प्राप्त सूचियों को समेकित कर स्वीकृति जारी कराएंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक को 1500/– अथवा सूची अनुसार राशि स्थानान्तरित की जायेगी।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले की प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त बालिकाओं की सूची निम्न प्रारूप में परिषद् मुख्यालय, (नवाचारी प्रकोष्ठ) पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

प्रारूप

क्रमांक	छात्रा का नाम	पिता का नाम	ब्लॉक	स्थान	विद्यालय का नाम
				I	
				II	

- बीआरसीएफ/बीईईओ पुरस्कार प्राप्त छात्रा के नाम से राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर से जारी करायेगे एवं समारोह आयोजित कर वितरित करेंगे।

टी.एल.एम.

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2010–11 में एस.सी./एस.टी. शिक्षा नवाचारी शिक्षा मद में कक्षा VIII एवं कक्षा VII में अध्ययनरत एस.सी./एस.टी. समुदाय की बालिकाओं को टी. एल.एम. के अन्तर्गत प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध करने का अनुमोदन किया है।

एस.सी./एस.टी. समुदाय की बालिकाओं को टी.एल.एम. वितरण हेतु निम्न प्रकार दिशा निर्देश प्रदान किए जाते है।

- टी.एल.एम. का वितरण राजकीय विद्यालयों में कक्षा VIII एवं कक्षा VII में अध्ययनरत बालिकाओं को किया जाना है।
- टी.एल.एम. के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न सामग्री की लागत 60/– रूपये प्रति बालिका है।
- **अगर किसी जिले में भौतिक लक्ष्य कम हो एवं छात्राएं अधिक हो तो जेण्डर गेप वाले ब्लॉक को प्राथमिकता देनी है।**
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, टी.एल.एम. वितरण की प्राप्ति रसीद बालिका अथवा अभिभावक से प्राप्त होने पर ही राशि का समायोजन करें।
- **किसी भी स्थिति में जिले हेतु उक्त मद में आवंटित बजट से अधिक की राशि का व्यय नहीं किया जावें।**
- टीएलएम के रूप में ''ज्योमिति बॉक्स'' दिया जायेगा, जिसमें निम्नसामग्री होनी अनिवार्य है –
-

सामग्री	संख्या	अधिकतम लागत
✓ स्केल 6 इन्च	एक	5.00
✓ रबर	दो	4.00
✓ शॉर्पनर	दो	5.00
✓ पेन्सिल	दो	4.00
✓ प्रकार (Compass)	एक	10.00
✓ डी	एक	5.00
✓ सैट स्क्यर	सैट	5.00
✓ पैन (नीला एवं लाल)	दो	12.00
✓ बाक्स	एक	10.00

- राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या के आधार पर 60/– रुपये प्रति बालिका के अनुसार राशि समीप की एसडीएमसी को हस्तान्तरित की जावें।
- टी.एल.एम. के अन्तर्गत दी जाने वाली सामग्री उच्च क्वालिटी एवं ब्राण्ड्रेड कम्पनी की होनी चाहिए।
- एपीसी (नवाचारी शिक्षा)/बीआरसीएफ/बीईईओ/सीरआरसीएफ/नोडल प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे की टी.एल.एम. गुणवत्तापूर्ण एवं ब्राण्ड्रेड कम्पनी का हो।
- **सामग्री जिला मुख्यालयों पर नियमानुसार टेण्डर लेकर क्रय कर उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि जिला स्तर पर क्रय की जाती है तो इस हेतु निम्न कमेटी का गठन किया जाना है।**
  1. जिला परियोजना समन्वयक — अध्यक्ष
  2. जिला मुख्यालय/ब्लॉक का बीआरसीएफ/बीईईओ — सदस्य
  3. ए.पी.सी. (नवाचारी शिक्षा) — सदस्य
  4. सहायक लेखाधिकारी (जिला मुख्यालय) — सदस्य
- जिला मुख्यालय, टी.एल.एम. वितरण के बाद बीआरसीएफ/बीईईओ से प्राप्त सूचना समेकित कर निम्न प्रारूप में परिषद् मुख्यालय को अवश्य प्रेषित करें।

प्रारूप

जिले का नाम –

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	लाभान्वित बालिकाओं की संख्या	वि. वि.
योग			

संशोधित एस.सी./एस.टी. शिक्षा – टी.एल.एम.

राज्य के समस्त जिलो में एस.सी./एस.टी. बालिकाओं को नवाचारी गतिविधि (SC/ST Education) के अन्तर्गत 60/– रूपये (अधिकतम) प्रति बालिका टी.एल.एम. (ज्योमिति बाक्स) का वितरण किया जाना है।

नोट –

- टी.एल.एम. का वितरण कक्षा VIII एवं VII में अध्ययनरत एस.सी./एस.टी. बालिकाओं को किया जाना है।

- यदि कक्षा VIII एवं VII में अध्ययनरत बालिकाओं को टी.एल.एम. वितरण के बाद राशि (बजट) शेष बचती है तो कक्षा VI की छात्राओं को टी.एल.एम. वितरण किया जा सकता है।
- अधिकतम जैण्डर गैप वाले जिलो को वरियता एवं प्राथमिकता देते हुए टी.एल.एम. का वितरण करना है।
- **शेष शर्ते एवं प्रावधान पूर्व पत्रांक राप्राशिप/नवा.शि./एससी/एसटी/टीएलएम /10–11/19651 दिनांक 09.06.10 के अनुसार यथावत रहेंगे।**

टाईम लाईन चार्ट –

एससी/एसटी नवाचारी शिक्षा की समस्त गतिविधियों का टाईम लाईन चार्ट निम्नप्रकार है –

Sr. No.	Activity	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
1	टी.एल.एम.												
2	रेगिस्तानी छात्रावास												
3	शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोज़र विज़िट)												
4	अवार्ड												
5	कौशल विकास शिविर												